718/16/12/15 II

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1936–नवम्बर 12, 2014
Kartika 21, Wednesday, Saka 1936–November 12, 2014

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2014

जी.एस.आर. 37 :– हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 25) की धारा 36 की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

अध्याय–1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 है।

(2) ये राजप–त्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013(2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं.25) अभिप्रेत है;

(ख) **"उपाबंध"** से इन नियमो से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) **"सफाई युक्ति"** नियम 4 में निर्दिष्ट उपकरणों को सीमित न करते हुए जिसके अंतर्गत हाथ से या यांत्रिक रूप से प्रचालित किन्तु जहां तक,–

(i) मलनाली या मल विगलन कुंडों से सेप्टेज के परिवहन या प्रवाह को साफ करने या समर्थ बनाने के लिए, और

(ii) ऐसी मल या सामग्री के साथ सीधे हाथों के संपर्क को बचाने के लिए, उपयोग किए जा सकेंगे;

(घ) "जिला स्तर सर्वेक्षण समिति" से नियम 14 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रगणक" से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण या सत्यापन के प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "निरीक्षक" के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "ओवरसियर" से इन नियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ज) "संरक्षात्मक साधनों" से व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर और सुरक्षा युक्तियां अभिप्रेत हैं जो मलनाली और मल विगलन कुंडों की सफाई के संबंध में सफाई कर्मचारियों या सफाई कर्मकारों द्वारा पहनने के लिए या उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं जो कार्य की विशिष्ट प्रकृति को करने के लिए आवश्यक होंगे जिसके अंतर्गत नियम 3 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सामग्री को सीमित नहीं किया गया है —

(i) पदार्थों को मानव त्वचा के संपर्क से बचाने के लिए जो किसी रोग का कारण हो सकती है जिसके साथ सभी श्वसन उपस्कर जिससे गैसों को अंतःश्वसन से रोका जा सके जो रोग का कारण हो सकता है, और जिसके अंतर्गत मलनाली या मल विगलन कुंडों के अंदर उपस्थित गैसों की पहचान के लिए कोई संवेदी उपस्कर भी हैं

(ii) क्षति को दूर करना जब सफाई कार्य किया जा रहा हो;

(झ) "सफाई कर्मचारी" या "स्वच्छता कर्मकार" से घरेलू कार्य से भिन्न किसी स्वच्छता कार्य के लिए लगा हुआ या नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) "सुरक्षा पूर्वावधानियां" से नियम 6 में निर्दिष्ट, पूर्वावधानियों को सीमित न करते हुए किन्तु जिसके अंतर्गत मलनाली और मल विगलन कुंडों की सफाई में लगे हुए व्यक्तियों

द्वारा रोगों और क्षतियों के संपर्क को दूर करने को और व्यक्तियों के जोखिम को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी हैं जो मलनाली या मल विगलन कुंडों के भीतर और जब मलनाली या मल विगलन कुंडों में प्रवेश करने के दौरान किसी भौतिक अवस्था (ठोस, द्रव्य या गैस) में मल या कोई अन्य सामग्री के संपर्क में आते हैं ;

(ट) "राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति" से नियम 12 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया हैं।

अध्याय 2

मलनाली या मल विगलन कुंडों की सफाई में लगे हुए कर्मचारियों के प्रति नियोजक की बाध्यताएं

3. **संरक्षात्मक साधन और सुरक्षा युक्तियां.–** (1) इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों के बिना किसी मलनाली की हाथ से सफाई के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा सिवाय–

(क) कंक्रीट या फाप्रप्ला (फाइबर प्रबलित प्लास्टिक) या क्षतिग्रस्त मेनहोल जहां यांत्रिक उपस्कर प्रचालन में उपयोग नहीं किये जा सकते हैं, को हटाने के लिए ;

(ख) तीन सौ मिलीमीटर व्यास से अधिक आकार की मलनाली की दशा में विद्यमान मुख्य मलनाली के साथ नई डाली गई मुख्य मलनाली के अंतर्संयोजन के लिए ;

(ग) चूषण कूपों के तल पर नियत सबमर्सिबल पम्प सेटों को हटाने के लिए ;

(घ) मेनहोल के पुनर्निर्माण या मुख्य मलनाली के सुधार के लिए ;या

(ङ) ऐसी सफाई अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किसी परिस्थिति में जब हाथ से मलवाही की सफाई नितांत रूप से आवश्यक है।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए मलनाली में किसी व्यक्ति के प्रवेश को अनुज्ञात करने से पहले मलवाही पूर्णतया खाली की जायेगी।

(3) किसी मलनाली या किसी मल विगलन कुंड की सफाई में लगे हुए किसी व्यक्ति को उसके नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधन और सुरक्षा उपस्कर, निम्नलिखित को सीमित किये बिना, उपलब्ध कराने होंगे-

(i) ब्लोअर के लिए वायु संपीडित्र
(ii) वायु रेखा श्वसन उपस्कर
(iii) हस्त चालित वायु ब्लोअर के साथ वायु रेखा श्वसित्र
(iv) वायु शोधक गैस मास्क /चिन कार्ट्रिज
(v) कृत्रिम श्वसन/जालिका
(vi) अवरोध चेतावनी फीता
(vii) अवरोधक क्रीम
(viii) अवरोधक शंकू
(ix) ब्लोअर
(x) श्वसन मास्क
(xi) श्वसन उपस्कर
(xii) चेतावनी पट्ट
(xiii) क्लोरीन मास्क
(xiv) आकस्मिक चिकित्सा आक्सीजन पुनर्जीवक किट
(xv) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
(xvi) चेहरा मास्क
(xvii) गैस मानीटर (चार गैस)
(xviii) मार्गनिर्देश पाइप सैट
(xix) पूर्ण शरीर जलरा सूट
(xx) जूतों के साथ संबद्ध मत्स्य जलरा सूट
(xxi) हाथ के दस्ताने
(xxii) सिरो दीप
(xxiii) हेलमेट
(xxiv) हेलमेट विध्वंसक
(xxv) सीसा एसीटेट पत्र
(xxvi) जीवनरक्षक गद्दी
(xxvii) अनुकूलन वायुरेखा प्रदाय ठेला प्रणाली
(xxviii) सामान्य चेहरा मास्क
(xxix) नायलॉन रस्से की सीढ़ी पांच मीटर
(xxx) नायलॉन सुरक्षा पेटी
(xxi) जेबी पुस्तक
(xxxii) पोर्ट ऑक्सी

ा हुए
सुरक्षा

(xxxiii) बरसाती
(xxxiv) परावर्तक आवरण
(xxxv) सुरक्षा पेटी
(xxxvi) शारीरिक सुरक्षा कपड़े
(xxxvii) शारीरिक सुरक्षा सज्जा
(xxxviii) सुरक्षा चश्में
(xxxix) सुरक्षा गम बूट
(xxxx) सुरक्षा टोप
(xli) सुरक्षा फुहारा
(xlii) सुरक्षा टार्च
(xliii) सुरक्षा ट्राइपॉड सेट
(xliv) सर्च लाइट

4. **मलनाली या मल विगलन कुण्ड की सफाई.**– स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सफाई की युक्तियां मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है किन्तु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगी:–

(i) मलनाली स्वच्छता बकेटिंग मशीन
(ii) जेटिंग मशीन
(iii) चूषण मशीन (गूली एम्पटीयर)
(iv) संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)
(v) गहन चूषण संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)
(vi) हस्त प्रचालित ग्राह बाल्टी
(vii) हाइड्रोलिक प्रचालित ट्राली आरुढ़ ग्राह बाल्टी
(viii) ट्रक आरुढ़ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन
(ix) नियत बनावट आरुढ़ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन
(x) तरल कूप के लिए रिक्शा आरुढ़ विंच और मोटर प्रचालित मशीन डिसिल्टिंग मशीन
(xi) प्रवेश छिद्र के लिए रिक्शा आरुढ़ विंच और सहायक इंजन प्रचालित डिसिल्टिंग मशीन
(xii) एस्कार्ट हाइड्राक्रेन आरुढ़ हाइड्रोलिक विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी डिसिल्टिंग मशीन
(xiii) हस्तचालित छड़े, बेलचा, फावड़े, नाली साफ करने की मशीनें और हत्थों सहित इस्पात स्क्रेपर्स
(xiv) होज और धुलाई उपकरण

5. संरक्षात्मक गियर और सुरक्षात्मक युक्तियों की समय पर जांच.– (1) इन नियमों के अधीन सभी संरक्षात्मक गियर और सुरक्षा युक्तियों की प्रत्येक छः मास में जांच की जायेगी और नियोजक द्वारा आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापन किया जायेगा जो मलनाली या मल विगलन कुंड को साफ करने के लिए किसी व्यक्ति को लगाता है।

(2) आरामदायक शरीर के कपड़े उस कर्मकार को उपलब्ध कराये जायेंगे जिसे मलनाली या मल विगलन कुंड में उनकी सफाई के लिए प्रवेश करना है। नियोजक उन कर्मकारों को पूर्ण शरीर के कपड़े उपलब्ध करायेगा जो 5 फीट से अधिक की गहराई में मेन होल में प्रवेश कर रहे हैं और अनुकल्पी रूप से भागतः फिशिंग वाडर काया पोशाक उन व्यक्तियों को उपलब्ध करायेगा जो 5 फीट से कम की गहराई में मेन होल में प्रवेश कर रहे हैं।

(3) नियोजक मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में किसी व्यक्ति को लगाने से पूर्व निम्नलिखित सुरक्षा पूर्वावधानियां भी सुनिश्चित करेगा अर्थात्:–

(क) सभी समय न्यूनतम तीन कर्मचारी रहेंगे जिनमें से एक पर्यवेक्षक होगा;

(ख) परिरुद्ध स्थान के भीतर वातावरण का आक्सीजन की कमी और सम्मिलित विषैली कंबस्टीबल गैसों के लिए परीक्षण किया जायेगा किंतु निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए पता लगाने के परीक्षणों के माध्यम से हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, मैथीन और गैसोलीन वेपर जैसी विषालु गैसों तक सीमित नहीं होगी:–

(i) मेनहोल में पता लगाने वाले लैंप को नीचे करना ;

(ii) भीगा सीसा, एसिटेट पेपर का अंतःस्थापन जो परिसंकटमय गैसों की उपस्थिति में रंग को परिवर्तित करता है; और

(iii) गैस अन्वेषक नकाबों के माध्यम से गैसों का पता लगाना।

(ग) उपनियम (1) के अधीन स्वच्छता प्रारंभ करने से पूर्व, उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया है और अवधारित किया है कि यदि निकटवर्ती कोई उद्योग मलनाली का उपयोग कर रहा है जिससे किसी परिसकंटमय वातवरण की प्रत्याशा का सामना किया जा सकता है।

(घ) धातुदंड सीढ़ियां और मेनहोल के पार्श्व की दीवारों की दशाएं यह देखने के लिए जांची जायेंगी कि क्या उनके ढहने का कोई खतरा है।

(ङ) यातायात और पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए सभी समय बैरीकेड उपलब्ध किये जाते हैं।

(च) एक फ्लैगमैन स्थल से कम से कम पचास फीट आगे तैनात होना चाहिये और कम से कम पांच सौ फीट के लिए आने वाले यातायात के लिए दृश्यमान होना चाहिये।

(छ) मलनाली कर्मकारों की नियमित चिकित्सा जांच जिसमें श्वसन अंग, त्वचा क्षति और अन्य उपजीविकाजन्य रोग की जांच और क्षतियां सम्मिलित है उनके उपचार के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित होगी कि मलनाली कर्मकार जो ऐसी बीमारियों और क्षतियों से प्रभावित है, सफाई के लिए मलनाली में प्रवेश न करें।

(ज) श्वसन और त्वचा रोगों और अन्य उपजीविकाजन्य रोगों के विरुद्ध नियमित टीकाकरण जिसके लिए इन कर्मियों का मलनाली में हानिकर पदार्थों से प्रभावित होने का खतरा बना रहता है।

(झ) सभी कर्मचारी जो स्थल पर सफाई कार्य के दौरान उपस्थित रहते हैं, ऐसे कार्यों से सहबद्ध क्षति या रोगों से बचने के लिए सफाई कार्य में अंतर्वलित सभी उपस्करों के प्रचालन के प्रशिक्षण ज्ञान से पर्याप्त रूप से सुपरिचित हों और कार्यस्थान पर आपात स्थिति पैदा होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम हों और प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा और कर्मचारी उपरोक्त विषय के संबंध में पद्धति और तकनीक में किन्हीं परिवर्तनों से सुपरिचित होंगे।

(ञ) पर्यवेक्षक निकटतम अस्पतालों और क्लिनिकों के नामों, पतों और टेलीफोन नंबरों को अपने पास और सुविधाजनक स्थिति में रखेंगे।

(ट) मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई :-

(i) केवल दिन के प्रकाश में की जायेगी; और

(ii) किसी खंड पर 90 मिनट से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी/ दो खंडों के बीच 30 मिनट का अंतराल देना आज्ञापक होगा।

(ठ) किसी लाइन की पहचान करना, उसे बंद करना या पुनर्मार्गी करना जिससे या उसके माध्यम से कार्यक्षेत्र में हानिकर पदार्थ लाये जाते हैं।

(ड) यह सुनिश्चित करना कि प्रवेश स्थल पर लिखित प्रचालन और बचाव प्रक्रियाएं दर्शित की गई है।

(ढ) यदि प्रवेश शिखर द्वार के माध्यम से किया जाता है, काम में लगने वाली हाउसिंग युक्ति जो किसी व्यक्ति को सीधे प्रास्थिति में निलंबित करती है और यांत्रिक युक्ति पांच फीट की गहराई से अधिक उर्ध्वाधर स्थान से पुनः प्राप्त कार्मिकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ण) किसी परिरूद्व स्थल कार्य के दौरान कम से कम एक व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा और हृदय फुस्फुस पुनरूज्जीवन में प्रशिक्षित होना चाहिए जो तुरन्त उपलब्ध हो।

(त) मेनहोल में आक्सीजन अंतर्वस्तु सभी स्तरों पर (तल, मध्य और शिखर) में मेनहोल उपाय के परिरूद्व स्थान में कम से कम 19.5 प्रतिशत होनी चाहिए और यदि आक्सीजन स्तर 19.5 प्रतिशत से कम है और 21 प्रतिशत से अधिक है तो कोई व्यक्ति मेनहोल में प्रवेश नहीं करे।

(थ) दोनों तरफ कम से कम दो या तीन मेनहोलों को खोलकर के मलनाली लाइन को संवातित करना जहां कार्य को क्रियान्वित किया जाना है।

(द) प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व मेनहोल को कम से कम एक घंटे पहले खोला जाना चाहिए।

(ध) किसी व्यक्ति विशेषकर बालकों को खुले हुए मेनहोल में दुर्घटनावश गिरने से रोकने के लिए समुचित रूप से बाड़ या रूकावट होगी। वेलडित फैब्रिक या वायर नेट से छदम कवर का उपयोग किया जा सकेगा।

(न) सभी कर्मी मलनाली लाइन में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करेंगे।

(प) मेनहोल या मलनाली में प्रवेश कर रहे व्यक्ति की मेनहोल में प्रवेश करने से पूर्व जांच की जानी चाहिए।

(फ) मेनहोल में प्रवेश करने से पूर्व मेनहोल रंगदंडा या चरणों की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की जानी चाहिए।

(ब) जहां आवश्यक है सुवाह्य एल्यूमिनियम सीढ़ी कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध हो और सुवाह्य सीढ़ी को प्रयोग करने के दौरान उसे समुचित रूप से बैठाया या नियत किया गया है।

(भ) किनारे के समीप कोई सामग्री या औजार नहीं होने चाहिए जो मेनहोल में गिर सकते हैं और कर्मकार को क्षति पहुंचा सकते हैं।

(म) मलनाली की सफाई के दौरान उपयोग किये गये उपस्कर विस्फोटकरोधी और अग्निरोधी हों।

(य) धूम्रपान, खुली लपटें मेनहोल के अन्दर के साथ ही खुले मेनहोल के ठीक निकट प्रतिषिद्ध हैं।

(यक) अचानक या अघोषित वातावरण में परिवर्तन की दशा में, कम से कम 10 मिनट तक वायु प्रदाय के साथ आपात बचाव श्वसन साधित्र पहनना चाहिए।

6. सुरक्षा पूर्वावधानियां.– नियोजक उस समय जब व्यक्ति मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में लगा है, निम्नलिखित सुरक्षा पूर्वाधानियों को सुनिश्चित करेगा:–

(i) अच्छी चलती हालत में बैटरी के साथ सुवाह्य पंखे और एयर ब्लोयर जिसमें मलनाली में व्यक्ति के प्रवेश के दौरान प्राक्कलित अवधि से अधिक अवधि की चालन क्षमता हो, संवातन के लिए मलनाली में लगाए जायेंगे और संवातन स्त्रोत मेनहोल के मुख में संस्थित किए जायेंगे।

(ii) फ्लैश लाइट और द्विपथ रेडियो जैसी संचार युक्तियों को मलकुंड में लगाया जायेगा।

(iii) स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर की उपस्थिति:–

(क) घायल कर्मी के युक्ति चालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्राइपॉड या साज प्रणाली या कुछ अन्य पद्धति।

(ख) टोकरी स्ट्रेचर या उसी प्रकार की युक्ति आपात परिवहन के लिए घायल कर्मियों को ले जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(ग) उपाबंध–1 में दिए गए प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर और प्रशिक्षित कार्मिक शीघ्र ही उपलब्ध होंगे।

(iv) नियोजक एबुंलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और अधिकतम निकटता से अनुसरण करेगा।

(v) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि समनुदेशित व्यक्ति के पास कम से कम दस लाख रूपये की जीवन बीमा पालिसी है और जिसका प्रीमियम नियोजक द्वारा संदत्त किया जायेगा।

7. पश्च स्वच्छता सुरक्षा सावधानियां.– नियोजक स्वच्छता की किसी अवधि के पश्चात् मलनाली या मलविगलन कुंड से बाहर आने वाले

गलनाली या विगलन कुंड की सफाई में लगे किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित पश्च स्वच्छता सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करेगा:-

(i) दूषित कपड़े हटाने के लिए और धुलाई के साथ-साथ साफ सूखे कपड़े सुखाने के लिए सुविधाएं देगा।

(ii) धोना सामग्री जल, साबुन, हाथ धोने वाले साबुन तक सीमित नहीं होगी किन्तु इसमें पश्च सफाई सुरक्षा के लिए शरीर पर लगाये जाने के लिए उपयुक्त और चिकित्सीय रूप से अधिप्रमाणित त्वचा क्रीम सम्मिलित होगी।

(iii) त्वचा पर कोई घाव/रगड़ या गलनाली की सफाई के कारण हुई श्वसन अंग की समस्याओं का शीघ्र ही उपचार किया जायेगा।

अध्याय-3
अस्वच्छ शौचालय

8. अस्वच्छ शौचालय.- मानव विष्टा पूर्णतः अपघटित रूप में उपचारित होगी जब वह अरूचिकर गंध के बिना स्थायी सामग्री में परिवर्तित हो जाती है और मूल्यवान पादप पोषकों में अंतर्विष्ट हो जाती है।

9. अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण.- (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करने के लिए और उनकी सूची का प्रकाशन करने के लिए एक समुचित समय अनुसूची तैयार करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के अधीन अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व पर सामुदायिक नेताओं और सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, अस्वच्छ शौचालयों के संनिर्माण, अनुरक्षण या उपयोग के संबंध में गैर सरकारी संगठनों सहित किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गयी किसी शिकायत पर, शिकायत फाइल करने के 15 दिन के भीतर जांच करेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन, कम से कम सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के समुदाय से दो सदस्यों सहित जिनमें से एक महिला होगी और कम से कम एक सदस्य सिविल सोसाइटी समूहों से होगा, एक समिति का गठन करेगा।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट समिति, सर्वेक्षण की योजना बनायेगी और उसकी मानीटरी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किए जा रहे सर्वेक्षण के साथ-साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जाये।

(6) स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसकी अधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों की एक आरंभिक सूची तैयार करेगा और उसे स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा तथा सूची के संबंध में, उस तारीख को निर्दिष्ट करते हुए जिस तक आक्षेप, यदि कोई हों, प्राप्त किए जा सकेंगे, आक्षेप आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करेगा।

(7) स्थानीय प्राधिकारी प्रारंभिक सूची पर प्राप्त शिकायतों और आक्षेपों की सुनवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट समय और तारीख को एक बैठक का आयोजन करेगा और अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची का अनुमोदन करेगा।

(8) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी और प्रकाशित की जायेगी, जो स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर उन्हें प्रदर्शित करेगा तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, में प्रकाशित करेगा।

(9) स्थानीय प्राधिकारी, अस्वच्छ शौचालयों की सूची के अंतिम प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय के अधिभोगी को ऐसे अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करने या उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने के नोटिस की तामील करेगा।

(10) उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जायेगी।

(11) उप-नियम (9) में निर्दिष्ट सूचना में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों के संबंध में ऐसी जानकारी सम्मिलित होगी जो फायदाग्राहियों को अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करने या उन्हें स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन का हकदार बनाती हैं और उन स्कीमों के अधीन फायदा उठाने के लिए पात्रता के संबंध में और ऐसा फायदा उठाने की प्रक्रिया के संबंध में अन्य जानकारी शामिल होगी।

(12) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट समिति जिला मजिस्ट्रेट को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो स्वयं या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा पदाभिहित कोई विभाग, उसकी अधिकारिता के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारियों की समेकित रिपोर्टों को राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति को प्रस्तुत करेगा।

(13) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने की स्कीमों से व्यवहार कर रहे केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेगी।

(14) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सुसंगत स्कीमों के अधीन पात्र फायदाग्राही ऐसी स्कीमों के अधीन अनुज्ञेय वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(15) उपनियम (9) के अधीन नोटिस अवधि के अवसान के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी अस्वच्छ शौचालय के परिसर का निरीक्षण करेगा।

(16) यदि अधिभोगी ने न तो अस्वच्छ शौचालय को ध्वस्त किया है न ही उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया है तो स्थानीय प्राधिकारी उसको ध्वस्त करने के लिए आदेश करेगा और अधिभोगी से लागत को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

अध्याय – 4
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण

10. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण.– (1) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से और यथोचित रूप से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस विधि और रीति से प्रशिक्षित किया गया है जिसमें सर्वेक्षण संचालित किया जायेगा और उन्हें हाथ से मैला उठाने के विषय पर सुग्राही बनाया गया है।

(2) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति और जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति विभिन्न स्तरों पर विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, पर्याप्त अभियान चलायेंगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए सामुदायिक नेताओं या सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सहबद्ध करेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को स्वयं की घोषणा करने वाले केन्द्रों पर स्वयं की घोषणा करने के लिए जागरूकता अभियानों के माध्यम से आमंत्रित करेगा और अवधि के दौरान उन स्थानों पर जिनको स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा उनके ब्यौरों को सत्यापित करेगा।

(5) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियां, यदि गैर सरकारी संगठनों या अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए पूर्णतया सत्यापित किया जायेगा।

(6) अस्वच्छ शौचालयों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या के डाटा के बीच किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बताये गए अंतर की दशा में स्थानीय प्राधिकारी, प्रगणकों द्वारा उन अस्वच्छ शौचालयों में सेवा कर रहे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नामों को जानने के लिए द्वार से द्वार सर्वेक्षण करने का आदेश करेगा।

(7) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मकारों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पर्यावासों का भी भ्रमण करेगा।

(8) इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित ओवरसियरों द्वारा प्रगणकों द्वारा किए गये कार्य के नीचे उपदर्शित परिमाण तक यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूनों की जांच की जायेगी:-

(i) ग्रामों में 100 प्रतिशत जांच।

(ii) शहरों और नगरों में जहां अस्वच्छ शौचालयों सहित 1000 से कम गृहस्थियां हैं, 100 प्रतिशत जांच।

(iii) उन नगरों या शहरों में जिनमें अस्वच्छ शौचालयों सहित 1000 से 9999 गृहस्थियां हैं, प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 50 प्रतिशत।

(iv) उन नगरों या शहरों में जिनमें अस्वच्छ शौचालयों सहित 10000 गृहस्थियां या अधिक हैं, प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 33 प्रतिशत।

(v) प्रवर्ग (iii) और प्रवर्ग (iv) में, यदि प्रगणक द्वारा किए गए कार्य के नमूनों की जांच में 10% से अधिक त्रुटि का पता चलता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा उसके कार्य की 100 प्रतिशत जांच की जायेगी।

(9) इस अधिनियम के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति की दशा में अनंतिम प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आक्षेप फाइल कर करेगा।

(10) स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के दौरान उक्त सूची के प्रकाशन की रीति को भी अधिसूचित करेगा।

(11) स्थानीय प्राधिकारी आक्षेपों की जांच करायेगा और उसकी अधिकारिता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, यदि आवश्यक हो तो, करेगा।

(12) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात्, सूची पर किसी दावे या आक्षेपों को सूची में जोड़ने या हटाने के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा परंतु हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी स्वयं के विषय में उसका हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी होने की घोषणा करने का हकदार होगा।

(13) जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी से अन्यून पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त दावों और आक्षेपों की जांच करने के लिए और जांच पर निष्कर्ष देने के लिए अधिसूचित करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित जांच यह सुनिश्चित करेगी कि-

(i) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया गया है ;

(ii) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उप-नियम (15) में यथाउपबंधित संक्षिप्त सुनवाई की 7 दिन से अन्यून सूचना दी गई है;

(iii) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उप-नियम (4) में यथाउपबंधित अनुसार उसके दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा ,

(iv) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को किसी वकील, गैर सरकारी संगठन या मित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा; और

(v) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उप-नियम (17) में यथाउपबंधित अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति दी जायेगी।

(14) इन नियमों के अधीन दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए प्ररूप, आवेदकों को निर्दिष्ट स्थान पर, मांग करने पर, बिना किसी प्रभार के और स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे और दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दे सकेगा।

(15) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त सुनवाईयां की जायेंगी।

(16) दावों का सत्यापन करने के लिए पदाभिहित अधिकारी, यदि अपेक्षित हो तो, नए सत्यापन का आदेश कर सकेगा।

(17) संक्षिप्त सुनवाई और ऐसे और सत्यापन (यदि आदेश किया गया है) के पश्चात्, अधिकारी यथास्थिति, दावे या आक्षेप को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए समुचित आदेश पारित करेगा और आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।

(18) पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा दावों और आक्षेपों का निपटान करने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी प्रारूप सूची में अपेक्षित संशोधन करेगा और उन्हें जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति को उसके विचारार्थ संप्रेषित करेगा।

(19) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, शहर से प्राप्त हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियों को संकलित करवायेगी और जिले के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूची तैयार करेगी जिसे जिला कलक्टर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(20) राज्य सरकार विभिन्न जिलों से प्राप्त हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियां रखेगी, संकलित करेगी और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की समेकित राज्य सूची तैयार करेगी।

(21) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्यरत कोई भी कर्मी, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी समय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में

पहचान किए जाने के लिए स्वयं घोषित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन का रूपविधान उपाबंध-2 पर दिया गया है।

(22) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पहचान के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान किए जाने के लिए जाति या धर्म या आय या लिंग के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा।

(23) उप-नियम (22) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में लगाया जाना चाहिए था या नियोजित किया जाना चाहिए था और उसने कम से कम तीन मास तक निरंतर उस रूप में कार्य किया हो।

(24) ओवरसियरों द्वारा यथा सत्यापित पहचान किये गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची स्थानीय समाचार पत्रों में संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जायेगी और उसके अपने ही कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों पर, जो समुचित समझे जाएं, प्रदर्शित की जायेगी।

(25) अनंतिम सूची की एक प्रति स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों या सफाई कर्मचारियों या सफाई कर्मियों के सामुदायिक नेता को उपलब्ध कराई जायेगी।

(26) अनंतिम सूची प्रकाशित करते समय, स्थानीय प्राधिकरण जनता के सदस्यों से यह अपेक्षा करेगा कि वे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रूपविधान में कम से कम 15 दिन की अवधि के भीतर सूची के विरुद्ध दावे और आक्षेप फाइल करें।

(27) दावों और आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम सूची को संबद्ध कार्यालयों के सूचना पट्टों पर सम्यकतः प्रकाशित किया जायेगा और अन्तिम सूची जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

11. **हाथ से मैला उठाने वालों को नकद सहायता.**- पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी, प्रत्येक कुटुम्ब से एक कर्मी, पहचान करने के ठीक पश्चात् 40,000 रु. की नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। फायदाग्राही को अधिकतम 7,000 रु. की मासिक किस्तों में रकम प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

अध्याय - 5
समितियां

12. **राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति.**- राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:-

1. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष

2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायतीराज विभाग	सदस्य
4. निदेशक, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	सदस्य
5. प्रादेशिक निदेशक, जनगणना प्रचालन विभाग	सदस्य
6. वरिष्ठ प्रादेशिक प्रबन्धक (वाणिज्यिक), रेल	सदस्य
7. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम जो राज्य सरकार द्वारा सदस्य नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य दो प्रतिनिधि
8. अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी जो राज्य सरकार सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य

13. राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य.– राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:–

(क) राज्य स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानीटर करना और उसकी अन्वेक्षा करना;

(ख) अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिए सामग्री वितरित करना;

(ग) सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना;

(घ) अपनी अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुवादित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना;

(ङ) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियों को अंतिम रूप देने को मानीटर करना;

(च) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची के प्रकाशन को मानीटर करना।

14. जिला स्तर सर्वेक्षण समिति.– जिला स्तर सर्वेक्षण समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:–

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. जिला स्तर अधिकारी (उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव
3. जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
4. नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के जिला स्तर कार्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
5. रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य

6. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम दो प्रतिनिधि जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य
7. अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य

15. जिला स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य.– जिला स्तर सर्वेक्षण समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:–

(क) जिला स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानीटर करना और उसकी अन्वेक्षा करना;

(ख) अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिए सामग्री वितरित करना;

(ग) सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना;

(घ) अपनी अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुवादित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना;

(ङ.) शहरों, जिले के सभी नगरों और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अन्तिम सूची को मानीटर करना;

(च) जिले में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची के प्रकाशन को मानीटर करना;

अध्याय–6
विविध

16. निरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां.– (1) यदि किसी निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, जो अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 की उप-धारा (2) या धारा 7 के अधीन यथा परिभाषित है, होता है या उसके होने की संभावना है, तो वह उसका निरीक्षण, अन्वेषण करेगा या उसकी जांच करायेगा और,–

(i) यदि अपराध किसी अस्वच्छ शौचालय के संनिर्माण, रखरखाव या उसके उपयोग से संबंधित है तो निरीक्षक स्थानीय प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट करेगा जो इसके पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(ii) यदि अपराध हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन से संबंधित है तो निरीक्षक स्थानीय प्राधिकरण को और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकरण हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मी का नाम सम्मिलित करने के लिए कदम उठायेगा जो, चाहे सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी समय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अन्तिम सूची में नियोजित पाया जाए और जब एक बार हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी का नाम अन्तिम सूची में जोड़ दिया जाता है तब मैला उठाने वाले कर्मियों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनर्वासित किया जायेगा।

(3) यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि मलनाली या मल विगलन कुंड की परिसकटमय सफाई को अपनाया जा रहा है, तो निरीक्षक ऐसी परिसंकटमय सफाई तुरंत रोकने के लिए आदेश करेगा और मामले की स्थानीय प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

(4) निरीक्षक अपनी अधिकारिता के भीतर किसी संरचना, स्थल, स्थान या परिसर की परीक्षा उस समय कर सकेगा जब यह विश्वास करने के लिए कारण है कि ऐसे परिसर का मलनाली या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाने वाला है।

(5) निरीक्षक किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य उसी जगह या अन्यथा ले सकेगा जिसे वह अस्वास्थ्यकर शौचालय या मलनाली या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई से संसक्त किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे:

परंतु ऐसे व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या उसे ऐसे किसी साक्ष्य, जो अपराध में फंसाने की प्रवृति रखता हो, देने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

(6) निरीक्षक ऐसा कोई फोटाग्राफ, विडियो क्लिप, नमूना, रिकार्ड प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करवा सकेगा या किसी ऐसी युक्ति, जिसमें इलेक्ट्रानिक युक्ति भी है, का प्रयोग करके कोई स्कैच बना सकेगा या बनवा सकेगा जो वह इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(7) यह देखने पर कि कोई स्थानीय प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण, परिसंकटमय सफाई में किसी व्यक्ति को लगा रहा है या नियोजित कर रहा है, तो निरीक्षक ऐसे प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण को निदेश देगा कि वह ऐसे सफाई के कार्य को तुरंत रोक दे और इस संबंध मे इन नियमों के उपाबंध-3 के रूप में उपाबद्ध प्ररूप में लिखित सूचना तामील करेगा।

17. राज्य निगरानी समिति की बैठकें.- (1) राज्य निगरानी समिति ऐसी तारीख और समय पर, छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये।

(2) बैठक सामान्यतः जयपुर में आयोजित की जायेगी।

(3) जहां समिति किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित करना आवश्यक समझती है वहां उन कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी बैठकें राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर आयोजित की जा सकेंगी।

(4) सदस्य सचिव, समिति के सभी सदस्यों को न्यूनतम दस दिन की सूचना जारी करवायेगा और बैठक के दौरान विचार किए जाने वाली कार्य सूची भी भेजेगा।

(5) ऐसे किसी कार्य पर, जो कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।

(6) अध्यक्ष, उस प्रत्येक बैठक की, जिसमें वह उपस्थित रहता है, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चयन कर सकते हैं।

(7) किसी बैठक में कोई कारबार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों:

परंतु यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत सूचना भेजकर, बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन की तारीख तक बैठक को स्थगित कर सकेगा।

(8) स्थगित बैठक में कारबार गणपूर्ति को ध्यान में लाये बिना निपटाया जायेगा।

(9) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जायेंगी और पढ़कर सुनाई जायेंगी तथा समिति की आगामी बैठक में उसकी पुष्टि की जायेगी और उन्हें अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत्त अभिलिखित किए जायेंगे जो स्थायी अभिलेख के रूप में रखे जायेंगे।

(11) कार्यवृत्त की एक प्रति केंद्रीय निगरानी समिति को सूचनार्थ देते हुए केंद्रीय सरकार को पृष्ठांकित की जायेगी।

उपाबंध-1

(नियम 7 देखिए)

प्राथमिक उपचार सुविधा

1. 150 कर्मचारियों के लिए कम से कम एक प्राथमिक उपचार पेटी प्रत्येक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी और उसे बनाए रखा जायेगा जिससे यह कार्य घंटों के दौरान सहजतः पहुंच योग्य हो सकें।

प्राथमिक उपचार पेटी सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रास से सुभिन्नतः चिन्हित की जायेगी और उसमें निम्नलिखित उपस्कर होंगे, अर्थातः-

(क) ऐसे कार्यस्थलों के लिए, जिनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, प्रत्येक उपचार पेटी में निम्नलिखित उपस्कर होंगे :-

(i) 6 लघु विसंक्रमित मरहम पट्टियां।

(ii) 3 मध्य आकार वाली विसंक्रमित मरहम पट्टियां।

(iii) 3 विस्तृत आकार वाली विसंक्रमित मरहम पट्टियां।

(iv) 3 विस्तृत आकार वाली बर्न मरहम पट्टियां।

(v) 1 (30 मि.ली.) बोतल जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहलिक विलेयन आयोडीन हो।

(vi) (30 मि.ली.) सेलवोलाटाइल से युक्त बोतल जिसमें लेबल पर खुराक और उसे देने का ढंग उपदर्शित हो।

(vii) 1 सर्पदंश नश्तर।

(viii) 1 (30 मि.ग्रा.) पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की बोतल।

(ix) 1 कैंची।

(x) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम उपचार पत्रक की एक प्रति।

(xi) 1 बोतल जिसमें एस्प्रिन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 मि. ग्रा.) हों।

(xii) जले पर लगाने का मरहम।

(xiii) उपयुक्त शल्यक रोगाणुरोधक विलेयन की एक बोतल।

(ख) कार्यस्थल, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, के प्रत्येक प्राथमिक सहायता बॉक्स में निम्नलिखित उपस्कर होंगे:-

(i) 12 लघु विसंक्रमित मरहम-पट्टियां।

(ii) 6 मध्य आकार की विसंक्रमित मरहम-पट्टियां।

(iii) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित मरहम-पट्टियां।

(iv) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित बर्न मरहम-पट्टियां।

(v) 6 पैकेट 15 ग्राम विसंक्रमित काटन ऊन।

(vi) 1 बोतल (60 मि.ली.), जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहलिक विलेयन आयोडीन हो।

(vii) 1 बोतल (60 मि.ली.) जिसमें सेलवोलाटाइल हो, जिसके लेबल पर प्रयोग की मात्रा और रीति उपदर्शित हो।

(viii) चिपकने वाले प्लास्टर का एक रोल।

(ix) 1 सर्पदंश नश्तर।

(x) पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की एक बोतल (30 मि.ग्रा.)।

(xi) 1 कैंची।

(xii) महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक सहायता पुस्तिका की एक प्रति।

(xiii) एस्प्रिन की 100 गोलियों (प्रत्येक 5 मि.ग्रा.) की एक बोतल।

(xiv) जले पर लगाने का मरहम।

(xv) उपयुक्त शल्यक रोगाणुरोधक विलेयन की एक बोतल।

2. उपस्करों को तुरंत प्राप्त करने के लिए, जब आवश्यक हों, पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी।

3. प्राथमिक चिकित्सा पेटी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखी जायेगी, जो कार्यस्थल के कार्य घंटों के दौरान आसानी से उपलब्ध हो।

4. ऐसे कार्यस्थल में, जहां कर्मचारियों की संख्या 150 या अधिक है, वहां प्राथमिक चिकित्सा पेटी का भारसाधक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो प्राथमिक सहायता उपचार में प्रशिक्षित हो।

5. ऐसे कार्यस्थल में, जहां नियोजित कर्मचारियों की संख्या 500 या अधिक है और चिकित्सा सुविधाएं कार्यस्थल से उचित दूरी पर उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिक सहायता पोस्ट की स्थापना की जायेगी और प्रशिक्षित कम्पाउंडर द्वारा संचालित किया जायेगा और जब कर्मकार कार्य पर हो तो वह ड्यूटी पर रहेगा तथा सभी समय उपलब्ध रहेगा।

6. जहां कार्यस्थल ऐसे स्थान में स्थित है, जो नगर या शहर नहीं है, वहां जख्मी व्यक्ति या अचानक बीमार हुए व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए एक उपयुक्त मोटर वाहन सहज रूप से उपलब्ध रखा जायेगा।

7. प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उपर्युक्त पैरा 1 के भाग (क) और (ख) में यथावर्णित से भिन्न कोई अन्य उपस्कर या पदार्थ नहीं रखा जायेगा।

उपाबंध–2
(नियम 10 देखिए)
(कार्यालय प्रयोग के लिए)

स्व-घोषणा प्ररूप

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्तियों की पहचान

- राज्य का नाम :
- जिला :
- नगरपालिका :.........................नगर................वार्ड.................
- पंचायत...............................ग्राम..........................

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति का फोटो

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के परिवार का फोटो
(पोस्टकार्ड आकार का फोटोचित्र 6"X4")

1. हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति का नाम :
2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम :
3. आयु :
4. लिंग: पुरूष [ ] स्त्री [ ]
5. शैक्षिक प्रास्थिति : (उपयुक्त खाने में ✓का चिन्ह लगाएं)

(i) क) शिक्षित : [ ] ख) अशिक्षित [ ]
(ii) यदि शिक्षित है तो, शिक्षा का स्तर :-
(क) प्राप्त शिक्षा कक्षा 1–5 : [ ] कक्षा 6–10 : [ ]
कक्षा 11–12 : [ ] कक्षा 12 से अधिक : [ ]

6. उपजीविका :
(i) अस्वच्छ शौचघर से मानव मल-मूत्र को ले जाना/निपटान/सफाई [ ]
(ii) बिना उपचारित मानव मल-मूत्र की सफाई : (क) खुले नाले से [ ]
(ख) रेलवे ट्रेक से [ ] (ग) शौच गड्ढाघर से [ ]

7. नियोजन की प्रास्थिति :

I. नियोजित :

(क) निजी :–

(i) व्यक्तिगत गृहस्थी ☐ (ii) समुदाय / गृहस्थियों का समूह ☐

(iii) संविदाकार ☐

(iv) अस्पताल, कार्यालय, आदि जैसे संस्थान ☐

(v) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)..............................

(ख) केन्द्रीय सरकार ☐ (ग) राज्य सरकार ☐

(घ) नगर निगम ☐

II. नियोजन :

(क) स्थायी आधार पर ☐ (ख) अस्थायी आधार पर ☐

(ग) संविदा के आधार पर ☐ (घ) जजमानी ☐

8. आप इस व्यवसाय में कितने समय से हैं : ______________________

9. सामाजिक पृष्ठभूमि :

(क) क्या अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / अन्य से हैं ☐

(ख) जाति ☐ (ग) उप जाति ☐

(घ) धर्म ☐

10. (क) क्या आपने सरकार की पुनर्वास स्कीमों से कोई फायदा प्राप्त किया है?

(उपयुक्त खाने में ✓का चिन्ह लगाएं)

हां	नहीं

(ख) यदि हां, तो स्कीम का नाम (उपयुक्त खाने में ✓का चिन्ह लगाएं)

क. सं.	स्कीमों के नाम	रुपये
(1)	मैला उठाने वाले कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम (एनएसएलआरएस)	
(2)	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस)	
(3)	कोई अन्य स्कीम (स्कीमों) का नाम विनिर्दिष्ट करें	

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्कीम के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना चल रही है :

हां	नहीं	यदि हां, तो मासिक आय (रु.)

(घ) ज्ञात नहीं

11. (क) क्या आप मैला उठाने से भिन्न किसी आजीविका में लगे हुए हैं ?

हां ☐ नहीं ☐

(ख) यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें..........................

12. कोई अन्य कौशल जो आप रखते हों :

(i) संनिर्माण ☐ (ii) बढ़ईगीरी ☐

(iii) वाहन चालन ☐ (iv) भोजन बनाना ☐

(v) कपड़े सिलना ☐ (vi) अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)..........................

13.प्रस्तावित वैकल्पिक उपजीविका (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..........................

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति का नाम और पता..........................

....

..........................पिनकोड..........................

..........................संपर्क दूरभाष/मोबाइल सं. ....

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान..........................

नाम और तारीख : ....

द्वारा एंट्री आपरेटर के हस्ताक्षर ....

नाम और तारीख (कोड सं. के साथ) :

प्रगणक के हस्ताक्षर

....

नाम और तारीख (कोड सं के साथ) : ....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

....

नाम और तारीख (कोड सं के साथ)

....

अस्वच्छ शौचालय के ब्यौरे

1. व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालय (आईआईएल) के ब्यौरे:

क्रम सं.	अस्वच्छ शौचालय के स्वामी का नाम	निम्न की अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी(रु.)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जिससे मल खुले नाले में बहाया जा रहा है	नकद में	अनाज आदि के रूप में

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालयों की कुल संख्या। ☐

(टिप्पणी: कृपया हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालयों का विस्तृत वर्णन दें। यदि आपको अतिरिक्त जानकारी लिखने की आवश्यकता हो तो कृपया इस पृष्ठ की छायाप्रति करें और सर्वेक्षण प्ररूप के साथ संलग्न करें

2. सामुदायिक अस्वच्छ शौचालयों (सीआईएल) के ब्यौरे :

क्र सं.	सामुदायिक अस्वच्छ शौचालय के स्वामी (संगठन/अभिकरण) का नाम	निम्न की अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी(रु.)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जिससे मल खुले नाले में बहाया जा रहा है	नकद में	अनाज आदि के रूप में

3. खुले नालों (ओडी)/रेल मार्गों/अन्य स्थानों का ब्यौरा :

क्रम सं.	खुले नालों/रेल मार्गों/अन्य स्थानों की अवस्थिति जिनमें अस्वच्छ शौचालयों से मल बहाया जा रहा है।	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी	
		नकद में (रु.)	वस्तु के रूप में (रु.)

(टिप्पण: यदि खुले नाले में हाथ से मैला उठाने में लगे हुए कर्मियों की संख्या एक से अधिक हो तो हाथ से मैला उठाने में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक प्ररूप भरें)

उपाबंध–3
(नियम 16 देखिए)

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अधीन निरीक्षक का कार्यालय.................(क्षेत्र का नाम)

सूचना

राजस्थान हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 के नियम 16 के उप–नियम 7 के अधीन

संदर्भ................................ तारीख.........................

सेवा में,

....
....
....

विषयः हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और राजस्थान हाथ से

मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन सूचना : मलनालियों और मल विगलन कुंडो की परिसंकटमय सफाई।

यतः अधिनियम की धारा 7 उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी मलनाली या किसी मल विगलन कुंडो की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगायेगा और न ही नियोजित करेगा ;

और, यतः राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के प्रवर्तन की तारीख के रूप में ....(प्रभावी होने की तारीख) अधिसूचित की है ;
और, यतः मलनालियों तथा विगलन कुंडो की सफाई नियमों के नियम 3 से 7 के उपबंधों के अधीन विनियमित है;
और, यतः आपको उक्त अधिनियम की धारा 2(1) (घ) के साथ पठित धारा 7 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियम..................(नियम संख्या) का अतिक्रमण करने की सूचना निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार दी गई है :-

(i) अतिक्रमण का स्थान ____________________

(ii) अतिक्रमण की तारीख ____________________

(iii) अतिक्रमण के ब्यौरे ____________________

____

____

____

____

2. आपसे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाती है कि क्यों न अधिनियम की धारा .... के अधीन आपके विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जाये। आपसे ....(तारीख) तक लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या ....को ... . पर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है।

3. आपके आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहने या आप अथवा आपके प्रतिनिधि के विनिर्दिष्ट दिन और समय पर उपस्थित होने में असफल रहने की दशा में, यह समझा जायेगा की आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है तथा अधोहस्ताक्षरी अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

निरीक्षक का नाम और पदनाम

तारीख..............................

स्थान..............................

[संख्या F. 2(21)SCSP/स्वच्छकार PEMSRACT13/SSE /2013/6693]

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष गोयल,
शासन उप सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग,
राज. जयपुर।

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 31, 2014

G.S.R. 37 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 36 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I

GENERAL

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013);

(b) "Annexure" means Annexure appended to these rules;

(c) "Cleaning device" includes but not limited to the equipments referred to in rule 4 whether manually or mechanically propelled which can be used to:-

(i) clean or enable the transport of flow of sewage in sewers or septage from septic tanks; and

(ii) avoid direct manual contact with sewage or material.

(d) "District Level Survey Committee" means the committee referred to in rule 14;

(e) "Enumerator" means any person engaged by a local authority for the purpose of survey or verification of manual scavengers;

(f) "Inspector" means a person appointed as "Inspector" by the State Government as per the provisions of sub-section (1) of section 20 of the Act;

(g) "Overseer" means an officer engaged by a local authority to exercise the powers and perform the duties under these rules;

(h) "Protective gear" means personal safety gear and safety devices that are to be provided, worn or used by safai karamcharis or sanitary workers in respect of cleaning of sewers and septic tanks that may be necessary for the specific nature of work to be carried out, as including and not limited to the materials referred in sub-rule (3) of rule 3 to-

(i) avoid any exposure of human skin to substances which can lead to diseases, along with all breathing equipment which prevents inhalation of gases which can lead to diseases and also includes any sensory equipment for detection of gases present inside the sewers or septic tanks;

(ii) avoid any injuries while carrying out cleaning work.

(i) "Safai Karamchari" or "Sanitation Worker" means any person engaged in or employed for any sanitation work, other than domestic work;

(j) "safety precautions" shall include, but not be limited to the precautions referred to in rule 6, and are all steps necessary to reduce the risk to the person and to avoid contraction of diseases and injuries by the persons engaged in cleaning of sewers and septic tanks due to exposure to sewage or any other material in any physical state (solid, liquid or gas) inside the sewers or septic tanks and while entering sewers or septic tanks; and

(k) " State Level Survey Committee" means the committee referred to in rule 12.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

OBLIGATIONS OF EMPLOYER TOWARDS EMPLOYEES ENGAGED IN THE CLEANING OF SEWER OR SEPTIC TANK

3. Protective gear and safety devices.- (1) No person shall be allowed to clean a sewer manually, with the protective gear and safety devices under these rules except:-

(a) for the removal of concrete or FRP (Fiber Reinforced Plastic) or damaged manhole door where mechanical equipments cannot be put into operation;

(b) for inter-linking the newly laid sewer main with the existing sewer main, in case of sewer of size of more than 300 m.m. diameter;

(c) for removal of submersible pump sets fixed at the bottom of the suction wells;

(d) for the reconstruction of the manhole or rectification of the sewer main; or

(e) any circumstance, when it is absolutely necessary to have manual sewage cleaning, after the Chief Executive Officer of the local authority has permitted to do so after recording in writing the specific valid reasons for allowing such cleaning.

(2) For the purpose of clause (c) or (d) of sub-rule (1) before allowing entry of a person in the sewer, sewage shall be totally emptied.

(3) Any person engaged to clean a sewer or a septic tank shall be provided by his employer, protective gear and safety devices including, but not limited to the following, namely:-

(i) Air compressor for blower
(ii) Air Line breathing apparatus
(iii) Air line respirator with manually operated air blower
(iv) Air Purifier Gas mask/Chin cortege
(v) Artificial respiration/Reticulate
(vi) Barrier caution tape
(vii) Barrier cream
(viii) Barrier cone
(ix) Blower
(x) Breath mask
(xi) Breathing Apparatus
(xii) Caution Board
(xiii) Chlorine mask
(xiv) Emergency medical oxygen resuscitator Kit
(xv) First Aid box
(xvi) Face mask

(xvii) Gas Monitor (4 gases)
(xviii) Guide pipe set
(xix) Full body wader suit
(xx) Fishing wader suit attached with boots
(xxi) Hand gloves
(xxii) Head Lamp
(xxiii) Helmet
(xxiv) Helmet demolishing
(xxv) Lead acetate paper
(xxvi) Life guard pad
(xxvii) Modular Airlines supply Trolley system
(xxviii) Normal face mask
(xxix) Nylon rope ladder 5 meters
(xxx) Nylon safety belt
(xxxi) Pocket book
(xxxii) Port oxy
(xxxiii) Raincoat
(xxxiv) Reflecting jacket
(xxxv) Safety belt
(xxxvi) Safety body clothing
(xxxvii) Safety body harness
(xxxviii) Safety goggles
(xxxix) Safety Gumboots
(xl) Safety Helmet
(xli) Safety Showers
(xlii) Safety Torch
(xliii) Safety Tripod set
(xliv) arch light

4. Cleaning of sewer or septic tank.- The local authority shall ensure that the following cleaning devices are used by persons engaged in cleaning sewer or septic tank including but not limited to the following:-

(i) Sewer Line Cleaning Bucketing Machine
(ii) Jetting Machine
(iii) Suction Machine (Gulley Emptier)
(iv) Combined Machine (Jetting cum Suction)

(v) Deep Suction Combined Machine (Jetting cum Suction Machine)

(vi) Manual Hand Operated Grab Bucket

(vii) Hydraulic Operated Trolley Mounted Grab Bucket

(viii) Truck Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine

(ix) Fixed Structure Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine

(x) Rickshaw Mounted Winch & Motor Operated Desilting Machine for Wet well

(xi) Rickshaw Mounted Winch & Auxiliary Engine Operated Desilting Machine for Manhole

(xii) Escort Hydra Crane Mounted Hydraulic Winch Operated Grab Bucket Desilting Machine

(xiii) Manual rods, shovels, spades, drainage cleaning machines and steel scrapers with handles

(xiv) Hoses and washing instruments

5. Timely checking of protective gear and safety devices.- (1) All protective gear and safety devices under these rules shall be checked every six months and necessary repair or replacements shall be made by the employer who engages a person for cleaning a sewer or a septic tank.

(2) Comfortable bodysuits shall be made available to the worker who has to enter sewers or septic tanks for their cleaning. The employer shall provide full body suits to workers entering manholes of depth more than five feet and alternatively, partial fishing wader body suits to those entering manholes of dept less than five feet.

(3) The employer shall also ensure the following safety precautions before a person is engaged into the cleaning of a sewer or a septic tank, namely:-

(a) There shall be a minimum of three employees present all the time, one of whom shall be a supervisor;

(b) The atmosphere within the confined space shall be tested for oxygen deficiency and toxic and combustible gases including but not limited to poisonous gases like Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Methane, and

gasoline vapors, through detection tests including the following:-

(i) lowering a detector lamp into the manhole;

(ii) inserting wet lead acetate paper which changes color in the presence of hazardous gases; and

(iii) detection of gases through gas detector masks.

(c) before starting the cleaning under sub-rule (1) the supervisor referred to in clause (a) of sub- rule (3) has inspected and determined if the sewer serves any industries nearby to anticipate any hazardous atmosphere that may be encountered.

(d) The condition of metal-rung ladders and the side walls of the manhole shall be checked to see if there is any danger of collapse.

(e) Traffic and pedestrian barricaders are provided all the times.

(f) A flag man should be stationed at least 50 feet ahead of a site and should be visible to incoming traffic for at least 500 feet.

(g) Regular medical check-up of sewage workers which shall include the examination of respiratory organs, skin injuries, and other occupational diseases and injuries for their treatment to ensure that sewage workers afflicted with such diseases or injuries do not enter sewers for cleaning.

(h) Regular vaccination against respiratory and skin diseases and other occupational diseases to which these workers are prone due to exposure to harmful substances and gases in sewers.

(I) All employees who are present on site during cleaning work are given training and adequately familiarize with the knowledge to operate all equipments involved in cleaning work, to avoid injuries or diseases associated with such work and to take necessary steps in case of emergency arising at the place of work and the training shall be conducted every two years and the employees shall be familiarised with any changes in method and technique with respect to the above.

(j) The supervisor possesses and keeps handy the names, addresses and telephone numbers of the nearest hospitals or clinics.

(k) Cleaning of a sewer or a septic tank shall be done:-

(i) only in day light; and

(ii) for a duration not exceeding ninety minutes, at a stretch. There shall be a mandatory interval of thirty minutes between two stretches.

(l) Identify and close off or reroute any lines that might carry harmful substances to, or through the work area.

(m) Ensure that written operating and rescue procedures are displayed at the entry site.

(n) If the entry is made through a top opening, use a housing device with a harness that suspends a person in an upright position and a mechanical device shall be available to retrieve personnel from vertical spaces more than five feet deep.

(o) At least one person trained in first aid and cardiopulmonary resuscitation should be immediately available during any confined space job.

(p) Oxygen content in the manhole must be at least 19.5% in the confined space of the manhole measures at all levels (bottom, middle and top) and no person enters the manhole if oxygen level is below 19.5% and more than 21%.

(q) Ventilate the sewer line by opening at least two or three manholes on both sides where work is to be carried out.

(r) Manhole shall be opened at least one hour before the start of operation.

(s) The opened manhole shall be properly fenced or barricaded to prevent any person, specially children, from accidentally falling into the sewer. Dummy cover with welded fabric or wire net may be used.

(t) All workers use the safety gear and safety devices before entering the sewer line.

(u) The person entering the manhole or sewer line must be tested before entering the manhole.

(v) Structural safety of manhole rungs or steps must be tested before entering the manhole.

(w) Portable aluminum ladder is available during the work period where necessary and the portable ladder is properly seated of fixed during use.

(x) No material or tools are located near the edge which can fall into manhole and injure the workman.

(y) Equipment used during sewer cleaning are explosion and fire proof.

(z) Smoking, open flames are prohibited inside the manhole as well as in the immediate vicinity of open manholes.

(za) In the event of a sudden or unpredictable atmosphere change, an emergency escape breathing apparatus with at least a ten minute air supply is worn.

6. Safety precautions.- The employer shall ensure the following safety precautions at the time when the person is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank:-

(i) Portable fans and air blowers with batteries in good working condition with a back up capacity of more than the estimated duration of the entry of the person in the sewer shall be carried into sewers for ventilation and a ventilation source shall be installed at the mouth of the manhole.

(ii) Flashlights and communication devices such as two way radios shall be carried into sewers.

(iii) Presence of the following rescuer equipment at the site:-

(a) A tripod and harness system or some other method ensuring manoeuvring of an injured worker to the surface.

(b) A basket stretcher or similar device shall be available for moving the injured worker to emergency transportation.

(c) First aid equipment as given in Annexure-I and trained personnel shall be immediately available.

(iv) The employer shall ensure availability of ambulance and follow up in close proximity.

(v) The employer shall ensure that the assigned person has life insurance policy of at least ten lakh rupees and the premium for which shall be paid by the employer.

7. Post cleaning safety precautions.- The employer shall ensure the following post cleaning safety precautions after an person engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank comes out of the sewer of septic tank after a session on cleanings:-

(i) Provide facilities for removal of contaminated clothing and for wash-up as well as cleaning dry clothing.

(ii) Wash-up material shall include but not be limited to water, soaps, hand sanitizers and adequate and medically authenticated skin cream for applying on the body for post cleaning safety.

(iii) Any cuts/burses on the skin or problems with a respiratory organ suffered on account of cleaning of sewer shall be immediately cured.

CHAPTER-III
INSANITARY LATRINES

8. Insanitary Latrines.- Human excreta shall be treated as fully decomposed when it eventually becomes stable material with no unpleasant smell and containing valuable plant nutrients.

9. Survey of insanitary latrines.- (1) Every local authority shall draw a suitable time schedule for carrying out survey of insanitary latrines within its jurisdiction and the publication of their list.

(2) The local authority shall take the assistance of the community leaders and Non Governmental Organizations working in the area for the welfare of the Safai Karamcharis or sanitary workers on the existence of insanitary latrines in the area under its jurisdiction.

(3) Any complaint filed by any person including a Non Governmental Organization, regarding the construction, maintenance or use of insanitary latrine, shall be inquired by the local authority within fifteen days of filling the complaint.

(4) The local authority shall constitute a Committee under its Chief Executive Officer with at least two members from the community of Safai Karamcharis or sanitary workers, one of whom shall be a woman and at least one member from the civil society groups.

(5) The Committee referred to in sub-rule (4) shall plan and monitor the survey and ensure that an awareness campaign is carried out simultaneously with the survey that is conducted.

(6) The Chief Executive Officer of the local authority shall prepare an initial list of insanitary latrines existing in his jurisdiction and display the same at the notice board of the office of the local authority and publish in two local daily newspapers, inviting the objections, specifying the date by which the objections, if any, to the list, shall be received.

(7) The local authority shall cause to hold a meeting on the due date as specified to hear the complaints and objections received on the initial list and approve the final list of insanitary latrines.

(8) The final list of insanitary latrines shall be prepared and published by the local authority which shall display the same at the notice board of office of the local authority and publish in two local newspapers, one of which shall be in the vernacular language.

(9) The local authority, within fifteen days of final publication of list of insanitary latrines, shall serve a notice on the occupier of the insanitary latrine to either demolish such insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine.

(10) A copy of such notice referred to in sub-rule (9) shall be sent to the Inspector.

(11) The notice referred to in sub-rule (9) shall include information regarding the schemes of the Central and State Government which entitle the beneficiaries to incentives for the demolition of insanitary latrines or conversion to sanitary latrines and other information regarding the eligibility to avail the benefits under those schemes and the procedure for availing such benefits.

(12) The Committee referred to in sub-rule (4) shall submit the survey report to the District Magistrate, who, or any department designated by him for this purpose, in turn, shall submit the consolidated reports of all local authorities under his jurisdiction to State Level Survey Committee.

(13) State Level Survey Committee shall furnish the report of the survey to the Central Ministry/Department dealing with the schemes of conversion of insanitary latrines into sanitary latrines for the urban and rural areas.

(14) The eligible beneficiaries under the relevant schemes of the Central or State Government may apply for the admissible financial assistance under such schemes.

(15) After the expiry of period of the notice under sub-rule (9), the local authority shall have the premises of the occupier of insanitary latrine inspected.

(16) If the occupier has neither demolished nor converted the insanitary latrine into a sanitary latrine, the local authority shall order for its demolition and recover the cost from the occupier as arrears of land revenue.

CHAPTER-IV
SURVEY OF MANUAL SCAVENGERS

10. Survey of manual scavengers.- (1)The local authority shall ensure that the persons conducting the survey of manual scavengers shall be adequately and appropriately trained by the

local authority on the method and manner in which the survey shall be conducted and sensitized on the issue of manual scavenging.

(2) The State Level Survey Committee and the District Level Survey Committee shall carry out adequate campaigns at various levels especially in all such areas where insanitary latrines have been found during the survey of insanitary latrines.

(3) The local authority shall also associate community leaders or Non Governmental Organizations working for the welfare of Safai Karamcharis or sanitary workers in identification of manual scavengers.

(4) The local authority shall invite manual scavengers through awareness campaigns to declare themselves at the self declaration centers and have their details verified during a period and at places, which shall be notified by the local authority.

(5) The lists of manual scavengers, if provided by the Non Governmental Organizations or any other persons or agency, shall be fully verified to identify manual scavengers.

(6) In case, there is discrepancy between the data of insanitary latrines or the number of manual scavengers thrown up by any person or organization, the local authority shall order a house-to-house survey of insanitary latrines by the enumerators to know the names of manual scavengers servicing those insanitary latrines.

(7) The local authority shall also make efforts to identify manual scavengers by visiting the habitations of concentration of Safai Karamcharis, sanitary workers or manual scavengers.

(8) Sample checks of the work done by the enumerators would be carried out by Overseers designated for the purpose by the local authority, on the basis of random selection to the extent indicated below:-

(i) 100% check in villages.

(ii) 100% check in cities and towns having less than 1000 households with insanitary latrines.

(iii) 50% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns or cities having 1000 to 9999 households with insanitary latrines.

(iv) 33% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns /cities having 10000 or more households with insanitary latrines.

(v) in categories (iii) and (iv), if sample check of the work done by any enumerator reveals an error of

more than 10%, a 100% check of his work shall be carried out by the supervisor.

(9) Any person having objection either to the inclusion or exclusion of any name in the provisional list of manual scavengers in pursuance of the Act may within a period of fifteen days from the provisional publication, file an objection in the prescribed format specified by the concerned local authority.

(10) The local authorities shall also notify the manner of publication of said list during the survey of manual scavengers carried out under the Act.

(11) The local authority shall get the objections enquired into and hold a meeting, if necessary, to finalize the list of manual scavengers in its jurisdiction.

(12) After publication of the final list by the local authority no claim or objection on the list shall be accepted for being included or excluded in the list, provided that manual scavenger shall be entitled to give self-declaration about his being a manual scavenger.

(13) The District Magistrate shall notify a designated officer not below the Tehlisdar or Block Development Officer for inquiring into claims and objections received and giving their findings and the inquiry conducted by the designated authority shall ensure that –

(i) the claimant or objector is given adequate opportunity to be heard;

(ii) the claimant or objector is given not less than seven days' notice about the date of summary hearing as provided under sub-rule (15);

(iii) the claimant or objector shall be allowed to support his claim with documentary evidence, if any, as provided under sub-rule (14);

(iv) the claimant or objector shall have the right to be represented by a lawyer, Non Governmental Organization, or a friend; and

(v) the claimant or objector shall be given a copy of the order passed by the designated authority as provided under sub-rule (17).

(14) Forms for filing claims and objection under these rules shall be made available to the applicants free of charge on demand at the designated place, as also through the website of the local authority

and the claimant and objector may support his claim with documentary evidence, if any.

(15) Summary hearings shall be conducted by officers designated by the local authority.

(16) The officer designated to verify the claims may order fresh verification, if necessary.

(17) After summary hearing and such further verification (if ordered), the officer would pass an appropriate order, accepting or rejecting the claim or objection, as the case may be, and a copy of the order would be given to the persons concerned.

(18) After settlement of claims and objections by the designated authority, the local authority shall carry out necessary correction in the draft list and transmit it to the District Level Survey Committee for its consideration.

(19) The District Level Survey Committee shall cause compilation of lists of manual scavengers received from each local authority, town and prepare a list of manual scavengers for the district which the District Collector will forward to the State Government.

(20) The State Government shall have the lists of manual scavengers received from various districts, compiled and prepare a consolidated State list of manual scavengers.

(21) Any person working as a manual scavenger, may self declare either during the survey undertaken by the local authority, or any time thereafter, apply to the Chief Executive Officer of the local authority or to any other officer authorized by him in this behalf, for being identified as a manual scavenger in the prescribed Proforma. Format of the application is given at Annexure–II.

(22) There shall be no minimum age limit for identification of manual scavenger, and there shall be no restriction regarding the caste or religion or income or gender for being identified as manual scavenger.

(23) For the purposes of sub-rule (22), a person should have been engaged or employed as manual scavenger at the commencement of the Act or thereafter and should have worked as such continuously for not less than three months.

(24) A provisional list of identified manual scavenger as verified by the Overseers, shall be published by the concerned local authority in local newspaper and displayed in its own office and at such other places as deemed appropriate.

(25) A copy of the provisional list shall be made available to members of the local authority and the Non Governmental

Organizations or community leader of Safai Karamcharis or sanitary workers.

(26) While publishing the provisional list the local authority shall call upon members of the public to file claims and objections vis-a-vis. the list within a period, not less than fifteen days, in a proforma notified by the local authority.

(27) After considering the claims and objections, if any, the final list shall be duly published at the notice boards of concerned offices and the final list shall also be uploaded on the website of the District administration and State Government.

11. Cash assistance to manual scavenger.- The identified manual scavenger, one from each family, shall be eligible for receiving cash assistance of Rs. 40,000/- immediately after identification. The beneficiary shall be allowed to withdraw the amount in monthly installments of maximum of Rs. 7,000/-.

CHAPTER–V
COMMITTEES

12. State Level Survey Committee.- The State Level Survey Committee shall consist of the following, namely:-

1.	Principal Secretary, Social Justice and Empowerment Department	Chairman
2.	Commissioner, Social Justice and Empowerment Department	Member Secretary
3.	Secretary, Local Self Government /Panchayatiraj Department	Member
4.	Director, Economics and Statistics Department	Member
5.	Regional Director, Census Operations Department	Member
6.	Senior Regional Manager (Commercial), Railway	Member
7.	Upto two representatives of Non Governmental Organizations working for Welfare of Manual Scavengers and Safai Karamcharis to be nominated by the State Government	Member
8.	Upto two community representatives of whom one should be a woman to be nominated by the State Government	Member

13. Function of the State Level Survey Committee.- The State Level Survey Committee shall perform the following functions, namely:-

(a) to monitor and oversee the survey process at state level;
(b) to distribute the materials for awareness campaign to designated place;
(c) to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey;
(d) to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction;
(e) to monitor the finalization of lists of manual scavengers; and
(f) to monitor the publication of final consolidated list of the manual scavengers.

14. District Level Survey committee.- The District Level Survey Committee shall consist of the following, namely:-

1.	District Magistrate	Chairman
2.	District Level Officer (Deputy Director / Assistant Director / District Probation and Social Welfare Officer) Social Justice and Empowerment Department	Member Secretary
3.	District Statistical Officer	Member
4.	Chief Executive Officer at District level office of Nager Nigam/ Municipal Council /Municipality	Member
5.	One representative of railway authority	Member
6.	Upto two representatives of Non Governmental Organizations working for Welfare of manual scavengers and Safai Karmacharies to be nominated by the District Magistrate	Member
7.	Upto two community representatives of	Member

whom one should be a woman to be

nominated by the District Magistrate

15. Functions of the District Level Survey Committee.- The District Level Survey Committee shall perform the following functions, namely:-

(a) to monitor and oversee the survey process at District level;
(b) to distribute the materials for awareness campaign to designated place;
(c) to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey;
(d) to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction;
(e) to monitor the finalization of list of manual scavengers for all towns, cities and villages in the district; and
(f) to monitor the publication of final consolidated list of the manual scavengers in the district.

CHAPTER–VI
MISCELLANEOUS

16. Duty and powers of Inspector.- (1) If an Inspector has reason to believe that an offence under the Act as defined under sections 5, sub-section (2) of section 6 or 7 of the Act has, or is, or is likely to take place, he shall conduct inspection, investigation or enquiry and if the offence pertains to the,-

(i) construction, maintenance or use of an insanitary latrine, the Inspector shall report to the local authority, which shall thereafter take action as per the provisions of the Act.
(ii) employment of manual scavenger, the Inspector shall send a report to the local authority as well as the District Magistrate.

(2) The local authority shall take steps to add the name of a manual scavenger, in the final list of manual scavengers, found to be employed whether during survey or any time thereafter, and once the name of a manual scavenger is added to the final list, the manual scavengers shall be rehabilitated under the provisions of the Act.

(3) If it appears to the Inspector that hazardous cleaning of sewer or septic tanks is being resorted to, the Inspector shall order to stop

such hazardous cleaning forthwith and shall report the matter to the local authority.

(4) The Inspector may examine any structure, site, place or premises within his jurisdiction, when there are reasons to believe that any such premises is being used or has been used or about to be used for hazardous cleaning of sewer or septic tank.

(5) The Inspector may take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with insanitary latrines or hazardous cleaning of sewer or septic tank:

Provided that such person shall not be compelled to answer any question or give any such evidence tending to incriminate him.

(6) The Inspector may take or caused to be taken any photograph, video clip, sample, record or make any sketch by using any device including electronic device as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules.

(7) On finding that a local authority, person or agency is engaging in or employing a person in hazardous cleaning, the Inspector shall instruct such authority, person or agency to stop such undertaking of cleaning immediately and shall serve a notice in writing in this regard in Form annexed as Annexure- III.

17. Meetings of State Monitoring Committee.- (1) The State Monitoring Committee shall meet at least once in six months on such dates and times as may be appointed by the Chairperson.

(2) The meeting shall normally be held at Jaipur.

(3) Where the Committee finds it necessary to hold the meeting at any other place, for the reasons to be recorded in writing, such meetings may be held at other places, within the State.

(4) Member-Secretary shall cause a notice of minimum ten days issued to all the members of the Committee and also send the list of business to be considered during the meeting.

(5) No business, which is not included in the list of business, shall be considered, without the permission of the Chairperson.

(6) The Chairperson shall preside over each meeting at which he is present, and in his absence, members may elect the senior-most member present to be Chairperson to preside over the meeting.

(7) No business shall be transacted at a meeting unless at least one third of the total members of the committee are present:

Provided that if at any meeting, less than one third of the members are present, the Chairman may adjourn the meeting to a

date not less than seven days from the date of the meeting, informing the members present and sending registered notice to the other members.

(8) Business at the adjourned meeting shall be disposed irrespective of the quorum.

(9) The proceedings of each meeting shall be circulated to all members present and shall be read out and confirmed at the next meeting of the Committee, and shall be signed by the Chairperson.

(10) The minutes shall be recorded in a minute book which shall be kept as a permanent record.

(11) A copy of the minutes shall be endorsed to the Central Government for the information of the Central Monitoring Committee.

Annexure-I
(see rule 7)

First Aid Facilities

1. At every work place there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, not less than one first-aid box for 150 employees. The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipment, namely:-

(A) For work places in which the number of employees employed does not exceed 50, each first aid box shall contain the following equipments:-

(i) 6 small sterilized dressings.
(ii) 3 medium size sterilized dressings.
(iii) 3 large size sterilized dressings.
(iv) 3 large sterilized burn dressings.
(v) 1 (30 ml) bottle containing a two percent alcoholic solution iodine.
(vi) (30 ml) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
(vii) 1 snakebite lancet.
(viii) 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
(ix) 1 pair scissors.

(x) 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institute, Government of India.

(xi) 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.

(xii) Ointment for burns.

(xiii) A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(B) For work places in which the number of employees exceeds 50 , each first-aid box shall contain the following equipments:

(i) 12 small sterilized dressings.

(ii) 6 medium size sterilized dressings.

(iii) 6 large size sterilized dressings.

(iv) 6 large size sterilized bum dressings.

(v) 6 (15gms.) packet sterilized cotton wool.

(vi) 1(60 ml) bottle containing a two percent alcoholic solutions iodine.

(vii) 1 (60ml.) bottle containing salvolatile having the dose and made of administration indicated on the label.

(viii) 1 roll of adhesive plaster.

(ix) 1 snakebite lancet.

(x) 1(30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.

(xi) 1 pair scissors.

(xii) 1 copy of the first-aid leaflet Issued by the Director General Factory Advise Service and Labour Institute, Government of India.

(xiii) A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.

(xiv) Ointment for burns.

(xv) A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

2. Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary

3. The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of work place.
4. A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in first-aid treatment in the work place where the number of employees employed is 150 or more.
5. In work places where the number of employees employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the work place, first -aid posts shall be established and run by a trained compounder and be shall be on duty and shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.
6. Where works places are situated in places which are not town or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.
7. The first-aid box shall not contain any other equipment or substance as mention in part (A) and (B) of para 1.

Annexure-II
(see rule 10)

Self Declaration Form (office use)

Identification of the persons engaged in manual scavenging

- **Name of the State:**
- **District :**
- **Municipality :___ Town____ Ward____**
- **Panchayat:___________ Village ______**

Photo of the person engaged in manual scavenging

Family Photo of the person engaged in manual scavenging
(Picture post card size photograph 6"X4")

1. Name of the person engaged in manual scavenging:

____

2. Name of Father/Mother/Spouse:

____

3. Age: ______________________

4. Sex: Male ☐ Female ☐

5. Education Status: (Put a ✓ mark in the appropriate box)
(i) a) Literate ☐ b) Not Literate ☐

(ii) If literate level of education:-

Studied Class 1-5 ☐ Class 6-10 ☐

Class 11-12 ☐ Class above 12 ☐

6. Occupation:

(i) Carrying/disposing/cleaning of human excreta manually from insanitary latrine

(ii) Cleaning untreated human excreta manually from: (a) Open drain

(b) Railway Track ☐ (c) Pit Latrine ☐

7. Status of Employment
I. Employed in
(a) Private:-

(i) Individual Household ☐
(ii) Community/Groups of Households ☐
(iii) Contractor ☐ (iv) Intuition like hospital, office etc. ☐
(v) Others (specify) ______________________

(b) Central government ☐ (c) State Government ☐

(d) Municipal Corporation ☐
II. Employed on:

(a) Permanent basis ☐ (b) Temporary basis ☐

(c) Contract basis ☐ (e) Jajmani ☐

8. How long you have been in this occupation:__________
9. Social Background:
(a) Whether SC/ST/OBCs/ other ☐

(b) Castes ☐ (c) Sub caste ☐
(d) Religion ☐

10. (a) Have you received any benefit from the government rehabilitation schemes?
(Put a ✓ mark in the appropriate box)

Yes	No

(b) If yes, name of the scheme (Put a ✓ mark in the appropriate box):

S. No.	Name of the Scheme	Rupees
(1)	National scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS)	
(2)	Self Employment Scheme for rehabilitation for manual scavengers(SRMS)	
(3)	Any other (Please specify the name of Scheme(s))	

(c) If yes, whether project funded through above scheme is running:

Yes	No	If yes , monthly income (Rs.)

(d) Not known
11. (a) Are you engaged in any occupation other than scavenging?
: Yes ☐ No ☐
(b) If yes specify:.... ....

12. Any other skill you posses:

(i) Construction ☐ (ii) Carpentry ☐

(iii) Driving ☐ (iv) Cooking ☐

(v) Tailoring ☐ (vi) Any other (specify) ......

13. Alternative Occupation Proposed (Please specify): ....

Name and Address of the person engaged in manual scavenging : . ... Pin code .... Contact Telephone /Mobile No. ....

Signature / Thumb Impression of the person engaged in manual .... scavenging.. Name and date ....

Signature of Data entry Operator.......................... ....

Name and date (with code no.) ....

Signature of Enumerator..

Signature of Supervisor......

Name and date (with code no.)................................

Name and date (with code no.)......................

Details of Insanitary Latrine

1. Details of Individual insanitary Latrine (IIL):

S. No.	Name of the owner of Insanitary Latrine	Location of the		Monthly salary wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

Total number of individual Insanitary Latrines being cleaned by the person engaged in manual scavenging [ ]

(Note: Please give detailed description of the individual Insanitary Latrine cleaned by the person engaged in manual scavenging. In case you need to write extra information kindly photocopy this page and attach with the survey form.)

2. Details of Community Insanitary Latrine (CIL):

S. No.	Name of the owner (Organisation/Agency) of Community Insanitary Latrine	Location of the		Monthly salary wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

3. Detail of Open Drain (OD)/Railway Tracks /Other spaces :

S. No.	Location of Open Drains/Railway tracks/other spaces in which excreta from the insanitary latrines is being flushed	Salary / wages of the manual scavengers	
		In cash	In kind (Rs)

(Note: If the number of involved manual scavengers in OD is more than one then please fill up a separate from for each of the person engaged in manual scavenging.)

Annexure - III
(see rule 16)

Office of the Inspector u/s 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013,__________(Area name)

Notice

Under sub-rule (7) of rule 16 of the Rajasthan Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014

Ref................ Date................................

To

____

____

____

Subject: **Notice under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (hereinafter the Act) and the Rajasthan Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014 (hereinafter referred to as the Rules): Hazardous cleaning of sewers and septic tanks.**

Whereas, section 7 of the Act provides that no person, local authority or any agency shall, from such date as the State Government may notify, which shall not be later than one year from the date of commencement of this Act, engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of sewer or a septic tank;

and whereas, the State Government has notified the date of enforcement of the provisions of section 7 of the Act as ____________(date of effect);

and whereas, cleaning of sewers and septic tanks is regulated under the provisions of rules 3 to 7 of the rules;

and whereas, you have been noticed to have violated the provision of section 7, read with section 2 (1) (d) of the said Act and the rule _________(rule number) made there under, as per the following details :-

(i) Place of violation ________________

(ii) Date of violation________________

(iii) Violation details:-

____

____

____

____

2. You are requested to show cause as to why action against you under section ___________ of the Act be not initiated. You are requested to submit your clarification in writing by ___________(date) or appear in person in my office on ________at_______.

3. In case you fail to submit the necessary clarification or you or your representative fails to appear on the specified day and time, it shall be deemed that you have nothing to say in the matter and the undersigned shall be free to take action in accordance with the provisions of the Act and the rules.

Name and
Designation of the Inspector

Date ____________
Place ____________

[No. F. 2/(21)/SCSP/स्वच्छकार/ PEMSRAct13/SSE/2013/6693]

By Order of the Governor,

मनीष गोयल,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक: एफ 2(21)एससीएसपी./स्केवेन्जर/पीईएमएसआर एक्ट 2013/6708 जयपुर, दिनांक 3/11/14

अधिसूचना

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं.25) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसके द्वारा निम्नलिखित को प्रदत्त करती है,-

नगर निगम के क्षेत्रों के लिए	—	अपर जिला मजिस्ट्रेट
अन्य नगरीय और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	—	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)

शासन उप सचिव

क्रमांक: एफ 2(21)एससीएसपी./स्केवेन्जर/पीईएमएसआर एक्ट 2013/6709-91 जयपुर, दिनांक 3/11/14

प्रतिलिपि पालनार्थ –

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
5. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. निजि सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
9. निजि सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
10. निजि सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
12. समस्त जिला कलक्टर ....राजस्थान को अतिरिक्त प्रति की, समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेटस को भिजवाने बाबत्।
13. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
14. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समाचार को ई-मेल द्वारा भिजवाने बाबत्।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..............................

शासन उप सचिव

Government of Rajasthan

Social Justice and Empowerment Department

No. F. 2 (21) /SCSP/SCAVENGER/PEMSR ACT 2013/ [illegible] Jaipur Dated [illegible]

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013), the State Government hereby confer the powers of the Judicial Magistrate First Class for the trial of offence under the said Act.

For the areas of Municipal Corporation	Additional District Mapistrate
For other urban & all rural areas	Sub-Divisional Magistrate

By order of the Governor,

(Maneesh Goyal)

Deputy Secretary of the Government

No. F. 2 (21) /SCSP/SCAVENGER/PEMSR ACT 2013/ 6709- 91 Jaipur Dated-- 2/11/14

Copy forwarded to-

1 Secretary, Hon'ble Chief Minister Government of Rajasthan.
2 Senior Deputy Secretary ,Chief Secretary, Government of Rajasthan.
3 P.S Hon'ble Minister Social Justice and Empowerment Department.
4 P.S. ACS, Administrative Reforms Department.
5 P.S. ACS,,Local Bodies Department.
6 P.S. Principal Secretary,Law Department.
7 P.S. Principal Secretary,Social Justice And Empowerment Department
8 P.S. Secretary,Personal Department.
9 P.S. Secretary,Panchayati Raj Department.
10 P.S. Director, Social Justice And Empowerment Department.
11 Director, Local Bodies Department.
12 All District Collectors ---------------------- Rajasthan with additional copy to send all Additional District Magistrate and Sub – Divisional Magistrate under their jurisdiction.
13 Director, Government press Jaipur to publish the notification in gazette.
14 ACP, to download on Departmental Website and send copy to all concerd by email.
15 All Deputy Director/ Asst. Director/DPSW Social Justice And Empowerment Department, Rajasthan.

Deputy Secretary of the Government

441

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

कमांक एफ 6 (7) प्र.सु./अनु.–3/2015/ जयपुर, दिनांक 5-2-2015

आज्ञा

केन्द्र सरकार द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) के कम में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से एतत्द्वारा किया जाता है:–

1. मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि – सदस्य
3. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग – सदस्य
4. विधायक कोटे से 26 (1) (ई)–
   श्री रामचन्द्र विधायक, डग, झालावाड, सदस्य राज्य विधानसभा – सदस्य
   श्री कैलाश वर्मा विधायक, बगरू, जयपुर, सदस्य राज्य विधानसभा – सदस्य
5. पुलिस महानिदेशक – सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग – सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग – सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग – सदस्य
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक माहनगर पालिका, जिला परिषद, कन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं रेल्वे से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
11. स्वच्छकारों के कल्यार्णार्थ और उनके पुनर्वास से जुडे सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि 26 (1) (आई)
   पुरुष संवर्ग
   (i) श्री पुखराज तेजी पुत्र श्री कैसाराम तेजी, एडवोकेट मोमासर बास, वाल्मिकि बस्ती,वार्ड नं. 4, श्री डूंगरगढ–331803, बीकानेर – सदस्य
   (ii) श्री चन्द्रप्रकाश चौहान (टाईसन) पुत्र श्री रामचन्द चौहान, बी–6, पांचबत्ती, नेहरू कॉलोनी, जोधपुर। – सदस्य
   महिला संवर्ग
   (iii) श्रीमती चन्दा नकवाल पत्नी श्री भारत नकवाल, 258 श्यामपुरी, हीदा की मोरी, गांधी सर्किल के पास, रामगंज बाजार, जयपुर। – सदस्या
   (iv) नीलम डाबोडिया पुत्री श्री ओमप्रकाश डाबोडिया, पटेल नगर, महेश नगर, जयपुर। – सदस्या
12. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य – सदस्य
13. अधिनियम की कियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले विभाग/एजेन्सी के प्रतिनिधि – सदस्य
14. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव

गठित समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के राज्य स्तर पर कियान्वयन समस्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की मॉनिटर करेगी एवं अधिनियम की प्रभावी कियान्विति हेतु राज्य सरकार को सलाह देने से संबंधित कार्यो का निष्पादन करेगी।

अधिनियम के प्रावधानुसार समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार किया जाना आवश्यक होगा। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

र. गोयल
उप शासन सचिव
5/2/15

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक 13-05-2016

आज्ञा

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियम 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है–

1. जिला कलक्टर–अध्यक्ष,
2. जिले के अनुसूचित जाति के समस्त विधान सभा सदस्य– सदस्य, (जिले में अनुसूचित जाति के सदस्य न होने पर राज्य सरकार द्वारा मनोनित अधिकतम दो विधान सभा सदस्य)
3. जिला पुलिस अधीक्षक–सदस्य,
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.–सदस्य,
5. जिला मुख्यालय पर स्थापित नगरीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सदस्य,
6. जिले मे स्थित कन्टोनमेन्ट बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी– सदस्य,
7. रेलवे की ओर से मनोनित प्रतिनिधि–सदस्य,
8. अस्वच्छकारों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्वास के जुडे संस्थाओं के अधिकतम चार समाजिक कार्यकर्ता जिसमें दो महिलाए आवश्यक है। (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)–सदस्य,
9. जिले में वित्तीय एवं साख से जुडा प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)–सदस्य,
10. जिला कलक्टर की राय में अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जो अधिनियम की क्रियान्विति में सहायक हो–सदस्य,
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी–पदेन सदस्य सचिव।

गठित समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन, समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन, अनुसंधान एवं अभियोजन कार्य को मोनिटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आहूत कर जिला मजिस्ट्रेट को विहित कर्तव्यों के सम्बन्ध में सलाह देने से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन करेगी।

13/5/2016
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, पंचायतीराज/स्वायत शासन विभाग, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, सचिवालय जयपुर।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विभाग जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर–अध्यक्ष जिलास्तरीय समिति।
6. जिला स्तरीय समिति समस्त सदस्य।
7. निदेशक, स्वायत शासन/विशेष योग्यजन/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
10. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक, अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर।
13. गार्ड पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक 13-05-2016

आज्ञा

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियम 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के समस्त उपखण्डों के लिए उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है–

1. उपखण्ड अधिकारी–अध्यक्ष,
2. जिला पुलिस उप–अधीक्षक–सदस्य,
3. उपखण्ड स्तर पर स्थापित पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं विकास अधिकारी (उपखण्ड स्तर पर पंचायत समिति स्थापित नही होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित दो ग्राम पंचायतो के अध्यक्ष).–सदस्य,
4. उपखण्ड स्तर पर स्थापित नगरीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी–सदस्य,
5. उपखण्ड में स्थित कन्टोनमेन्ट बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी– सदस्य,
6. उपखण्ड स्तर पर रेलवे की ओर से मनोनित प्रतिनिधि–सदस्य,
7. अस्वच्छकारों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्वास से जुडे उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित संस्थाओं के अधिकतम दो समाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिलाए आवश्यक है।–सदस्य,
8. उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित उपखण्ड स्तर पर वित्तीय एवं साख से जुडा प्रतिनिधि –सदस्य,
9. उपखण्ड अधिकारी की राय में अन्य उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जो अधिनियम की क्रियान्विति में सहायक हो–सदस्य,
10. उपखण्ड स्तर पर स्थित अनुसूचित जाति के विकास से जुडे विभाग का अधिकारी –पदेन सदस्य सचिव।

गठित समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन, उपखण्ड स्तर पर अवस्थित सम्बन्धित समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन, अनुसंधान एवं अभियोजन कार्य को मोनिटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आहूत कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विहित कर्तव्यों के सम्बन्ध में सलाह देने से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन करेगी।

र. भारद्वाज
13/05/2016
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, पंचायतीराज/स्वायत शासन विभाग, जयपुर।

3. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विभाग जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय समिति ।
6. उपखण्ड स्तरीय समिति–समस्त सदस्य।
7. निदेशक, स्वायत शासन/विशेष योग्यजन/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
10. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक, अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि० जयपुर।
13. गार्ड पत्रावली।

शासन उप सचिव